



केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

WELFARE HOUSING ORGANISATION

(आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय)

(एक आईएसओ 9001-2015 संगठन)

छठा तल, ए खण्ड, जनपथ भवन,

जनपथ, नई दिल्ली-110001

दूरभाष: 23739722/23717249/23355408

फैक्स : 23717250

6th Floor, 'A' Wing, Janpath Bhawan,

Janpath, New Delhi-110001

Phones : 23739722/23717249/23355408

Fax : 23717250

E-mail : cgewho@nic.in

रोजगार सूचना

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ), भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्व-वित्त योजनाओं के माध्यम से 'कोई लाभ-हानि नहीं' आधार पर मकानों का निर्माण करता है।

2. अनुबन्ध आधार पर पूर्णकालिक सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में नियुक्ति हेतु केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों/स्वायत्त निकायों के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों से अधोलिखित विवरणानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र. सं.	पद (संख्या) स्पेशियलिटी	योग्यता	आयु सीमा	पारिश्रमिक (मासिक)	अनुबन्ध की अवधि
1	एक (01) सलाहकार-कम्प्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी (एडवाइजर कम्प्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी)	केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों/स्वायत्त निकायों से डीएस/निदेशक लेवल के ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो कि बी.टेक. (आईटी/सीएस)/एमसीए उपाधि रखते हों तथा आईटी/कम्प्यूटर परियोजनाओं में डील किया हो और डिवीजन की आवश्यकता के अनुसार समान कार्यों का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव -सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप/क्रियान्वयन (आईटी इन्टर्वेन्शन्स/इम्प्लीमेन्टेशन) में-रखते हों।	न्यूनतम-50 वर्ष अधिकतम-62 वर्ष	₹ 50000/- +3000/- बतौर स्थानीय सवारी खर्च (कन्वेन्स)	1 वर्ष। वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाई जा सकती है, जो कि कार्य-प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा।

और अधिक विस्तृत विवरण के लिए कृपया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) की वेबसाइट www.cgewho.in पर लॉगऑन करें।

विधिवत् परिपूरित आवेदन प्रपत्र निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) के पास प्रस्तुत विज्ञापन के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ)

डीएवीपी 20105/11/0013/1819